न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 232/2022

अनवान मुकदमा –

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पुत्री रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कविता पुत्री रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता --- वादीगण
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 3

–:: निर्णय :–

दिनांक – 08/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है । वाद पत्र दो प्रतियों मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है ।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री देवीलाल थे। जहां तक वाद पत्र का संबंध है सजरा खानदान पेश किया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 3 एचडीपी के खाता सं. 110 के प.नं. 13/252, 13/253 की कुल 6.957 हैक. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित [illegible] पूर्व मे वादीगण के दादा श्री देवीलाल के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी [illegible] के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को ओद हुई । [illegible] के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण को जन्म से हक व हिस्सा [illegible] हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी[illegible] के मध्य पारिवारिक [illegible] ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

08.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

हक व हिस्सा वादीगण के हक मे त्याग कर दिया तत्पश्चात वादीगण को वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित 6.957 हैक. मे से 3.478 हैक. ब.हि.ब. प्राप्त हुई तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई।

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 3.478 हैक. कृषि भूमि घरू बंटवारा के समय ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 3 मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि मे से 3.478 हैक. की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित चक नं. 3 एचडीपी के खाता सं. 110 के प.नं. 13/252, 13/253 की कुल 6.957 हैक. मे से 3.478 हैक. के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार है तथा रूघवीर के स्थान पर रघुवीर किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 3 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

-:: आदेश ::-

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 3 की पैतृक [illegible] जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक नं. 3 एचडीपी के खाता सं. 110 के प.नं. 13/252, 13/253 की कुल 6.957 हैक. में से 3.478 हैक. के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा शेष खाता में रूघवीर के स्थान पर रघुवीर किये जाने के आदेश दिये जाते है।

[illegible] 08.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

08.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 232/2022
अनवान मुकदमा –

1. विनोद कुमार पुत्र श्री रघुवीर प्रसाद जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. अनिल कुमार पुत्र रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. रघुवीर पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. पुष्पा पुत्री रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. कविता पुत्री रघुवीर जाति जाट साकिन 2 एचडीपी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08/06/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि चक नं. 3 एचडीपी के खाता सं. 110 के प.नं. 13/252, 13/253 की कुल 6.957 हैक. में से 3.478 हैक. के वादीगण ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष खाता में रूघवीर के स्थान पर रघुवीर किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:51:18 IST
Reason: SelfAttested

08.06.2022
(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा